अपराध एवं यातायात नियंत्रण हेतु जिलों में पदस्थापित थानाध्यक्ष तथा उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–10.03.2017 को आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:-

1. प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना।
2. प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना।
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार।

गृह विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3050 दिनांक–18.04.2016 द्वारा अपराध एवं यातायात नियंत्रण हेतु जिलों में पदस्थापित थानाध्यक्ष तथा उनसे वरीय विनिर्दिष्ट पुलिस पदाधिकारियों को मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अपराधों के शमन के लिए एक वर्ष के लिए शक्ति प्रदत्त की गई है जिसकी अवधि दिनांक–26.04.2017 को समाप्त हो रही है।

2. पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना के पत्रांक–1415 दिनांक–21.02.2017 द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–200 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत धारा–177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 के तहत बिहार राज्य के सभी जिलों के ओ0पी0 प्रभारी/थानाध्यक्ष/प्रभाग पुलिस निरीक्षक से लेकर पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय)/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक को दी गयी शमन की शक्ति का दिनांक–26.04.2017 से एक वर्ष के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव गृह विभाग को प्राप्त हुआ है।

प्राप्त प्रस्ताव पर विचार के पूर्व राज्य में यातायात नियमों/कानूनों के अनुपालन तथा दोषी वाहन चालकों से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई पर विचार–विमर्श किया गया।

3. विचार विमर्श के क्रम में यह पाया गया कि यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण जो जुर्माना किया जा रहा है उसमें पुलिस विभाग की वसूली अपेक्षाकृत कम है। प्रधान सचिव, परिवहन विभाग द्वारा सूचित किया गया कि माह फरवरी, 2017 में शमन के फलस्वरूप कुल 160.00 करोड़ रूपये की वसूली हुई जिसमें से 150.00 करोड़ रूपये की वसूली परिवहन विभाग द्वारा तथा 10.00 करोड़ की वसूली पुलिस विभाग द्वारा की गयी है।

4. पुलिस विभाग द्वारा वर्त्तमान में अधिकतम वसूली के रूप में ज्यादातर 100 रूपये की वसूली की जा रही है जो कि न्यूनतम शमन की राशि है। पुलिस महानिदेशक द्वारा जानकारी दी गयी कि पुलिस बल द्वारा 4 मई 2016 से 28 फरवरी, 2017 तक कुल 12.86 करोड़ रूपये की वसूली की गयी है। उनके द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि क्षमता से अधिक माल लोड करने अर्थात ओवरलोडिंग में पुलिस को शमन की शक्ति प्राप्त नहीं है। पुलिस बल के द्वारा ओवरलोडिंग वाले वाहनों को जप्त कर जिला परिवहन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाता है। ऐसे वाहनों से शमन की राशि की वसूली की कार्रवाई जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा की जाती है।

5. पुलिस महानिदेशक के द्वारा जानकारी दी गयी कि पुलिस बल द्वारा न्यूनतम जुर्माना के रूप में 100 रूपये की वसूली इसलिए की जाती है क्योंकि प्रथम बार नियम का उल्लंघन करने पर न्यूनतम दण्ड की राशि 100 रूपये है और पुलिस पदाधिकारी के पास ऐसा कोई डाटा बेस उपलब्ध नहीं रहता है जिससे उन्हें यह जानकारी प्राप्त हो सके कि वाहन चालक द्वारा नियम का उल्लंघन प्रथम बार किया गया है या नहीं? साथ ही हाल के दिनों में बहुत अधिक ओवरलोडिंग वाले वाहनों को जप्त कर जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर को सुपुर्द किया गया है।

6. पुलिस महानिदेशक द्वारा सूचित किया गया कि स्पीड गन के अभाव में निर्धारित गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले चालाकों को चिन्हित करने में पुलिस बल को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। मुख्य सचिव द्वारा यह निदेश दिया गया कि आवश्यकतानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्पीड गन का क्रय किया जाय।

7. प्रधान सचिव, परिवहन विभाग के द्वारा यह निदेश दिया गया कि जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा जो भी रसीद पुलिस पदाधिकारी को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है, उसके लेखा का संधारण सही ढंग से नहीं हो पा रहा है।

8. प्रधान सचिव, गृह विभाग ने कहा कि इसके लिए सभी पुलिस अधीक्षक अपने जिला में शमन के लिए प्राप्त सभी रसीदों का लेखा 31.03.2017 तक अनिवार्य रूप से [illegible] राशि जमा करवा दें तथा अप्रैल, 2017 में मुख्यालय स्तर पर इसकी गहन समीक्षा कर ली जाय।

9. प्रधान सचिव, गृह विभाग द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि अब जो भी रसीद काटी जाय उसमें वाहन मालिक का नाम/चालक का नाम एवं अनुज्ञप्ति संख्या/वाहन का निबंधन संख्या एवं किस धारा में शमन किया गया है उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय। इन सूचनाओं के आधार पर एक डाटा बेस तैयार किया जाय ताकि जब वाहन चालक द्वारा दोबारा कानून का उल्लंघन किया जाय तो उक्त आधार पर शमन की राशि की वसूली की जाय।

10. मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि यदि वाहन चालक द्वारा एक से अधिक यातायात के नियमो का उल्लंघन किया जाता है तो इसे स्पष्ट रूप से दर्ज करते हुए तदनुसार शमन की राशि की वसूली की जाय।

11. प्रधान सचिव, परिवहन विभाग द्वारा यह सुझाव दिया गया कि पुलिस अधीक्षक मासिक अपराध की बैठक में उपर्युक्त कार्यों की समीक्षा करें। पुलिस महानिदेशक [illegible] दिया कि पुलिस अधीक्षकों की मासिक अपराध बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी भी अनिवार्य रूप से भाग लें ताकि मामले की गहन समीक्षा की जा सके एवं जो समस्याएँ हो उनके निदान के लिए आवश्यक रणनीति भी बनायी जा सके।

12. बैठक के अंत में पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना के पत्रांक 1415 दिनांक–21.02.2017 से प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त अपराध एवं यातायात [illegible] मे पदस्थापित थानाध्यक्ष तथा उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अपराधों के लिए विनिर्दिष्ट पुलिस पदाधिकारियों को प्रदत्त की गयी शमन की शक्ति का एक वर्ष के अवधि विस्तार के प्रस्ताव की सर्वसम्मति से अनुशंसा की गयी।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
(पी0के0 ठाकुर)	**(सुजाता चतुर्वेदी)**	**(आमिर सुबहानी)**	(अंजनी कुमार सिंह)
पुलिस महानिदेशक,	प्रधान सचिव,	प्रधान सचिव,	मुख्य सचिव, बिहार
बिहार, पटना।	परिवहन विभाग।	गृह विभाग	

ज्ञापांकः– 3/विविध–50–14/2016 गृ0वि0 2932 / पटना, दिनांक 10.[illegible]

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, प[illegible] महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पट[illegible] आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

ज्ञापांक 01/मनी रसीद – 24 – 23/2015 2506 / पटना 9/5/17
दिनांक

प्रतिलिपि: सभी संयुक्त आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार / सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त

E-Mail